कोलकाता मेट्रो रेल सामान्य नियम का परिशिष्ट/शुद्धिपत्र संख्या 4

ए) पृष्ठ संख्या 1 पर मौजूदा सामान्य नियम 1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ**-(1) इन नियमों को कोलकाता मेट्रो रेल साधारण (प्रथम संशोधन) नियम , 2025 कहा जाएगा।

(2) येशासकीय राजपत्र . में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत् . त होंगे।

बी) पृष्ठ संख्या 120 पर सामान्य नियम 105 के मौजूदा उप नियम (3) में निम्नलिखित को समाविष्ठ किया जाएगा।

"बशर्ते कि किसी टर्मिनल ब्लॉक स्टेशन पर जहां अनुमोदित डिजाइन का कोई स्लाइडिंग घर्षण बफर स्टॉप उस लाइन के लिए प्रदान किया गया हो जिस पर गाड़ी को प्रवेश कराया जाना हो, तो ऐसे घर्षण बफर स्टॉप को अनुमोदित विशेष निर्देशों के तहत उचित गति प्रतिबंध के साथ पर्याप्त दूरी के लिए प्रभावी विकल्प माना जाएगा।"

लक्षेश्वर सैकिया

(लक्षेश्वर सैकिया)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रवंधक

संख्या मेट्रो/ओएंडएम/टी-348/पार्ट-IV दिनांक 30.01.2025

वितरण

1. महाप्रबंधक के सचिव को महाप्रबंधक के सूचनार्थ
2. सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ
3. सभी अधिकारी (ओएंडएम) को सूचनार्थ
4. सभी स्टेशन प्रभारियों को सूचनार्थ
5. सभी मुयातानिरी/याता.निरी., सीएचसी, सीटीएलसी, सीटीपीसी, सीएलआई, सीसीसी, सभी पर्यवेक्षक (इंजी., सिग.एवं दूर. एवं बिजली)
6. अनुदेशक, यातायात प्रशिक्षण केंद्र, नोआपाड़ा
7. मुख्य संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर सीमांत परिमंडल

मेट्रो रेलवे

कोलकाता

कोलकाता मेट्रो रेल सामान्य नियम - 2019 का परिशिष्ट/शुद्धिपत्र संख्या 5

ए) सामान्य नियम 147 के सहायक नियम 147 के मौजूदा उप नियम के अनुच्छेद (ए) को तुरंत प्रभाव से हटाया जाता है।

प्वाइंट जोन सहित स्टेशन क्षेत्रों में खाली रेकों की शंटिंग के दौरान गति (जहाँ गाड़ियां सीबीटीसी प्रणाली इतर प्रणालियों के तहत संचालित हो रही हों) निम्नलिखित से कम होगी :

(i) 30 किमी प्रतिघंटा

(ii) गति, जिसपर प्वाइंटों/टर्नआऊट सहित ट्रैक को फिट घोषित किया गया हो।

(iii) सिगनल प्रणालियों के कारण लगाए गए गति प्रतिबंध

(iv) समय-समय पर लगाए गए अन्य गति प्रतिबंध

बी) सामान्य नियम 147 के सहायक नियम 147 के मौजूदा उप नियम के अनुच्छेद (ए) को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।
प्वाइंट जोन सहित अन्य यार्डों में खाली रेकों की शंटिंग के दौरान गतिनिम्नलिखित से कम होगी :

(i) 30 किमी प्रतिघंटा

(ii) गति, जिसपर प्वाइंटों/टर्नआऊट सहित ट्रैक को फिट घोषित किया गया हो।

(iii) सिगनल प्रणालियों के कारण लगाए गए गति प्रतिबंध

(iv) समय-समय पर लगाए गए अन्य गति प्रतिबंध

(v)

लक्षेश्वर सैकिया

(लक्षेश्वर सैकिया)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रवंधक

संख्या मेट्रो/ओएंडएम/टी-348/पार्ट-IV दिनांक 11.02.2025

वितरण

1. महाप्रबंधक के सचिव को महाप्रबंधक के सूचनार्थ
2. मुख्य संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर सीमांत परिमंडल
3. सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ
4. सभी अधिकारी (ओएंडएम) को सूचनार्थ
5. सभी स्टेशन प्रभारियों को सूचनार्थ
6. सभी मुयातानिरी/याता.निरी., सीएचसी, सीटीएलसी, सीटीपीसी, सीएलआई, सीसीसी, सभी पर्यवेक्षक (इंजी., सिग.एवं दूर. एवं विजली)
7. अनुदेशक, यातायात प्रशिक्षण केंद्र, नोआपाड़ा